**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)**

पीठासीन अधिकारी:– श्री हवाई सिंह यादव(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:– 195/2008

नत्थूलाल पुत्र बालूराम जाति बलाई निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

वादी...

बनाम

1. सीताराम पुत्र सुण्डाराम जाति बलाई निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
2. चुन्नीलाल पुत्र सुण्डाराम जाति बलाई निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
3. मक्खनलाल पुत्र बालूराम जाति बलाई निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
4. मदनलाल पुत्र बालूराम जाति बलाई निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
5. राकेश पुत्र गिरधारी जाति बलाई निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं हाल निवासी नागा मोहल्ला वार्ड नम्बर 5 भूदोली नीमकाथाना जिला सीकर।
6. लक्ष्मी बेवा गिरधारी जाति बलाई निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं हाल निवासी नागा मोहल्ला वार्ड नम्बर 5 भूदोली नीमकाथाना जिला सीकर।
7. मालीराम पुत्र चोथूराम जाति माली निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
8. मनीराम पुत्र चोथूराम जाति माली निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
9. दुर्गी देवी बेवा चोथूराम जाति माली निवासी पापड़ा कलां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

प्रतिवादीगण.....

**<u>दावा घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा</u>**

28/08/19

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 48 बीघा 10 बिश्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 2237/991, 22260/1062, 2265/1096, 2266/1097, 2268/1098 कुल किता 37 कुल रकबा 12.27 हैक्टर अवस्थित है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि को प्रथम सेटलमेन्ट के समय दयालसिंह पुत्र खेतासिंह, रणजीत सिहं पुत्र छतुसिंह, भागीरथ सिंह पुत्र गणपतसिंह, पाबूदानसिंह पुत्र छोटूसिंह, सलाबसिंह पुत्र रिछपालसिंह, अमरसिंह पुत्र भोमसिंह काश्त करते थे। उपरोक्त काश्तकारों ने धारा 1 में वर्णित भमि को दिनांक 10.01.1959 को झुंथा पुत्र देबू माली को हिस्सा 1/8, म्हादू पुत्र देबू माली को हिस्सा 1/8 [illegible] पुत्र सेडू को 1/2 हिस्सा, धूंकल पुत्र देवा चेजारा को हिस्सा 1/8 तथा गुल्ला पुत्र गोधा चेजारा को हिस्सा 1/8 बेचान कर दिया तथा उस विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागणों के नाम से नामान्तिकरण खुला तथा जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी),
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner

वादी ने रजिस्ट्रर्ड क्रेता धूंकल पुत्र देवा तथा गुला पुत्र गोधा से उनका सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा श्रावण बुद्धि 13 संवत 2016 को खरीद लिया। जिसकी लिखावट गांव के मंगतुराम महाजन ने लिखी तथा विक्रेता धुकल व गुला ने अपने अंगूठा निशानी की गई। तब से आज तक धारा 1 में वर्णित भूमि के 1/4 हिस्सें पर वादी का कब्जा काश्त चली आ रही है। वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में झुथंराम पुत्र देवु का 1/8 हिस्सा था, जिसमें से वादी के पिता बालू व चाचा सुण्डाराम को 3 बीघा कच्ची भूमि आषाढ सुदि 10 सम्वत् 2018 को 51 रूपये में खरीदी थी। तब से उपरोक्त 3 बीघा कच्ची भूमि पर वादी के पिता तथा चाचा सुण्डाराम तथा अब वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का संयुक्त कब्जा काश्त है।

वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में नोपा के वारिसान पोकरमल पुत्र नारायण, हरलाल, धोलूराम पुत्रगण रामेश्वरलाल सुरजाराम, प्रभात, छोटुराम पुत्र नोपाराम का हिस्सा 1/2, जगदीश पुत्र भूराराम को 1/8 हिस्सा, वादी का 1/4 हिस्सा है। तथा 3 बीघा कच्ची भूमि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 का 9 बीघा कच्ची भूमि है। वादी का चाचा सुण्डाराम बहुत ही चालाक व शातिर किस्म का व्यक्ति था। उसने तत्कालीन राजस्व अधिकारियों व सरपंच को अपने प्रभाव में लेकर वादी द्वारा क्रय की गई भूमि की जगह  अपना प अपने भाई बालूराम के नाम से नामान्तकरण दर्ज करवा दिया। जबकि गुला व धुंकल की जगह वादी का नामान्तकरण 1/4 हिस्सें में भरा जाना चाहिए था। प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 ने माननीय न्यायालय में एक दावा बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषधाज्ञा का पेश हुआ जिसमें नोटिस वादी को मिलने के बाद वादी ने धारा 1 में वर्णित भूमि का रिकार्ड तहसील उदयपुरवाटी से देखा तो पता चला कि वादी क्रय शुदा 1/4 हिस्सा बालूराम व सुण्डाराम के वारिसान के नाम से चढा हुआ था तथा 3 बीघा कच्ची जमीन जो झुथाराम से वादी के पिता व चाचा सुण्डा राम ने खरीदी थी का रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 के नाम चढा हुआ है। वादी ने रिकार्ड दुरूस्त करने के लिए प्रतिवादीगण से दिनांक 10.11.2005 को निवेदन किया तो प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने कहा कि वे शेष प्रतिवादीगण को समझा बुझा कर रिकार्ड दुरूस्त करवा देंगे । वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार मौखिक तथा परिवार व रिश्तेदारों को दिनांक 10.09.2008 एक जगह किया तो प्रतिवादीगण ने रिकार्ड दुरूस्त करवाने से साफ मना कर दिया तथा साथ ही यह धमकी दी कि वे वादी के कब्जा काश्त भूमि पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करेगें। इसलिए वाद कारण पैदा हुआ तथा वादी के हितों की रक्षार्थ यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद का वादाधिकारी संयुक्त खातेदारी भूमि में वादी के हिस्सें की भूमि का नामान्तकरण वादी के चाचा सुण्डाराम ने साज कर अपने व अपने भाई बालू के नाम भरवा लिया। वादग्रस्त भूमि व वादी व प्रतिवादीगण श्रीमानजी के श्रवणाधिकार में स्थित है। इसलिए श्रीमानजी को उक्त वाद सुनने का पूरा पूरा श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्त में निवेदन किया है कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री जाकर ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 48 बीघा 10 बिश्वा जिसके वर्तमान  खसरा नम्बर 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 2237/991, 22260/1062, 2265/1096, 2266/1097, 2268/1098 कुल किता 37 कुल रकबा 12.27 हैक्टर में वादी को 1/4 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 3 बीघा कच्ची भूमि का वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का वादील के 1/4 हिस्सें में नाम हजफ किया जाकर रिकार्ड से हटाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबद फरमाया जावे

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner

कि वे वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार का दखल नहीं देवें। वादपत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी नम्बर 1 न्यायालय में हाजिर आए व जवाब वाद पत्र पेश किया है कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास में स्थित होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज है गलत है व कतई स्वीकार नहीं है। वादी ने कभी भी धुकल पुत्र देवा व गुल्ला पुत्र जोधा का हिस्सा नहीं खरिदा था, न ही खरीद बाबत् कोई लिखावट मंगतुराम महाजन ने लिखी थी, वादी ने यदी कोई लिखावट पेश की है तो वह फर्जी है। यह बात सही है कि धुकल पुत्र देवा का 1/8 हिस्सा वादी के पिता बालूराम ने क्रय किया था व गुल्ला पुत्र गोदा का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी के पिता सुण्डाराम ने वर्ष 1959 में क्रय किया था तथा क्रय के समय से ही 1/8 हिस्सें पर वादी के पिता बालूराम का व 1/8 हिस्सें पर प्रतिवादी के पिता सुण्डाराम का कब्जा काश्त चला आया है था तथा इनके देहान्त के बाद इनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आया है व उक्त भूमि के 1/8 हिस्सें का राजस्व रिकार्ड भी वादी व इसके भाई मक्खन , मदन व गिरधारी के नाम से चला आया है। व वर्तमान में उक्त 1/8 हिस्से का वादी एवं वादी के भाईयों में बंटवारा हो चुका है। इसी प्रकार 1/8 हिस्सें का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी जबाबदेहन्दा व उसके भाई चुन्नी लाल के नाम से दर्ज चला आया है व आज भी 1/8 हिस्सें का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके भाई चुन्नीलाल के नाम से दर्ज है।

वादपत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज है गलत है व कतई स्वीकार नहीं है। झूंथाराम पुत्र देबुराम का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 7 गलायत 9 के पिता चोथूराम ने क्रय किया था तथा चोथूराम का ही क्रय के समय से कब्जा चला आया था। राजस्व रिकार्ड भी क्रय के बाद चोथूराम के नाम से दर्ज हो गया था वर्तमान में चोथूराम के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 7 लगायत 9 के नाम से 1/8 हिस्सा वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में दर्ज है। वादी का हिस्सा कभी भी 1/4 नही रहा है। वादी का वादपत्र की मद सख्या 1 में भूमि में 1/32 हिस्सा है अर्थात 0.3836 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड वादी के नाम से दर्ज है जिसका कोई विवाद भी नहीं है। वादपत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज है गलत है व कतई स्वीकार नहीं है। वादी का चाचा सुण्डाराम सीधा साधा अनपढ गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति था उक्त भूमि का नामान्तकरण क्रय की गई भूमि के आधार पर दर्ज किया गया था। वादपत्र की धारा 5 जिस प्रकार से दर्ज है गलत है व कतई स्वीकार नहीं है। वादी पढा लिखा व्यक्ति है तथा सरकारी नौकरी भी करता था। वादी ने यह गलत अंकित किया है कि उसे राजस्व रिकार्ड बाबत् जानकारी नही थी। वादी दिनांक 10.11.2005 व अन्य किसी दिन प्रतिवादी से नहीं मिला था न ही दिनांक 10.09.2008 को प्रतिवादीगण ने वादी का धमकी दी। वाद पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से दर्ज है गलत है, कतई स्वीकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.09.2008 व अन्य किसी दिन कोई किसी प्रकार की धमकी वादी को नही दी है तथा वादी का वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में 1/32 हिस्सा है। वादपत्र की मद संख्या 7, 8, 10 अस्वीकार है तथा मद संख्या 9 कानूनी होने से जबाब की आवश्यकता नही है।

प्रतिवादी नम्बर 1 ने अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि वादपत्र की मद संख्या में वर्णित भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके भाई चुन्नीलाल का हिस्सा 1/8 है उक्त भूमि में 1/32 हिस्सा अर्थात 0.3836 हैक्टर भूमि वादी के नाम से है तथा 1/32 हिस्से पर ही कब्जा काश्त है। वाद पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा नहीं है। वादी पढा लिखा व सेवानिवृत कर्मचारी है। वादी को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की सम्वत् 2016 से ही जानकारी थी तथा पिछले 58 वर्षो से उक्त

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

विवादित भूमि के 1/8 हिस्सें पर प्रतिवादी के पिता सुण्डाराम व इनके देहान्त के बाद प्रतिवादी व उसके भाई चुन्नीलाल का मौके पर शांतिपूर्वक वादी की जानकारी में कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में 1/32 हिस्सें पर वादी का व 3/32 हिस्सें पर वादी के भाईयों का कब्जा काश्त है। वादी ने कभी अपने नाम से कोई भूमि क्रय नहीं की है। वादी ने झुठें तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो खारिज होन योग्य है। वादी का विवादित भूमि में मात्र 1/32 हिस्सा है और मौका पर 1/32 हिस्से पर ही वादी का कब्जा काश्त है। वादी का कभी भी 1/4 हिस्सें पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। अन्त में निवेदन किया है कि वादी का वादपत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। वकील प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 7 ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति जताई है कि प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा को ही उनका जबाब पढा जावे।प्रतिवादी नम्बर 2, 8, 9, 10 बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।वादपत्र में तनकीयात कायम की गई।

1. **आया वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में वादी को 1/4 हिस्सें का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है तथा 3 बीघा कच्ची भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का संयुक्त खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का वादी के हिस्से में नाम हजफ किया जाकर रिकार्ड से हटाया जावे ?**

   **भा0 स0 वादी**

2. **आया वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान 1064, 1065, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083 में प्रतिवादी/जबाबदेहन्दा व उसके भाई चुन्नीलाल का 1/8 हिस्सा है ?**

   **भा0 स0 प्रतिवादी नम्बर 1**

3. **आया वादी का विवादित भूमि में केवल 1/32 हिस्सा है और 1/32 हिस्से पर ही मौका पर वादी का कब्जा काश्त है ?**

   **भार0 स0 प्रतिवादी नम्बर 1**

4. **अनुतोष**

साक्ष्य वादी में गवाह नत्थूराम पुत्र बालूराम से जीरह पूर्ण की गई तथा बयान कलम बद्ध किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह सीताराम पुत्र सुण्डाराम से जीरह पूर्ण की गई तथा बयान कलम बद्ध किये गये।

बहस दावा पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि ग्राम मणकसास पटवार हल्का मणकसास की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 764 रकबा 48 बीघा 10 बिश्वा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 2237/991, 22260/1062, 2265/1096, 2266/1097, 2268/1098 कुल किता 37 कुल रकबा 12.27 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के समय दयालसिंह पुत्र खेतासिंह, रणजीत सिहं पुत्र छतुसिंह, भागीरथ सिंह पुत्र गणपतसिंह, पाबूदानसिंह पुत्र छोटूसिंह, सलाबसिंह पुत्र रिछपालसिंह, अमरसिंह पुत्र भोमसिंह आदि नाम श्री उपरोक्त काश्तकारों ने उक्त वर्णित भूमि को दिनांक 10.01.1959 को झुंथा पुत्र देबू माली को हिस्सा 1/8, हादू पुत्र देबू माली को हिस्सा 1/8, नोपा पुत्र सेडू को 1/2 हिस्सा, धूंकल पुत्र

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)

Scanned by CamScanner

देवा चेजारा को हिस्सा 1/8 तथा गुल्ला पुत्र गोधा चेजारा को हिस्सा 1/8 बेचान कर दिया तथा उस विक्रय पत्र के आधार पर क्रेतागणों के नाम से नामान्तकरण खुला तथा जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ है। वादी ने रजिस्ट्रर्ड क्रेता धूंकल पुत्र देवा तथा गुल्ला पुत्र गोधा से उनका सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा सम्वत 2016 में खरीद लिया। झुंथा पुत्र देबू के 1/8 हिस्सें में से वादी के पिता बालू व चाचा सुण्डाराम ने 3 बीघा कच्ची जमीन खरीदी जबकि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 7, 8, 9 के नाम से चला आ रहा है। ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी के 1/4 हिस्सा की बजाय वादी के पिता बालू व चाचा सुण्डा के नाम से 1/4 भूमि का नामान्तकरण दर्ज कर दिया, जो गलत दर्ज कर दिया। वादी के पिता बालू एवं चाचा सूण्डा ने झुंथा पुत्र देबु से उसके हिस्सें 1/8 में से 3 बीघा कच्ची भूमि क्रय की थी जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 बनता है लेकिन उक्त क्रयशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड चौथूराम के नाम से तथा बाद में चौथूराम के वारिसान के नाम से दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है जो गलत है तथा दुरूस्त होने योग्य है। अतः वादी को उक्त वर्णित भूमि के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी के पिता बालू एवं चाचा सुण्डा द्वारा क्रयशुदा भूमि में 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वे वादी के कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें। अपने कथन की पुष्टि हेतु वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत RRT 2006-2007(supp. )Page No. 464 To 466, RRT 2015(1)Page No. 506 To 515, DNJ 2017[2] Page no 818to 823, DNJ 2019[sc] Page no 131-133, पेश किया है।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादी द्वारा किये गये कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि धुकल पुत्र देवा का 1/8 हिस्सा एवं गुल्ला पुत्र जोधा के 1/8 हिस्से का क्रय वादी ने नहीं किया जबकि सही यह है कि धूंकल पुत्र देवा के 1/8 हिस्से का वादी के पिता बालू ने तथा गुल्ला पुत्र जोधा के 1/8 हिस्सें को प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता सुण्डा ने क्रय किया तथा वादी उस समय नाबालिग था। उक्त क्रय व कब्जा के आधार पर ही ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण दर्ज किया था। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का आधार प्रदर्श 8 बही की लिखावट है, जो कि पंजिकृत दस्तावेज नहीं है इस कारण अपंजिकृत दस्तावेज को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। वादी ने प्रस्तुत वाद पत्र में यह गलत अंकित किया है कि झुंथा पुत्र देबु से 3 बीघा जमीन वादी के पिता व चाचा ने क्रय किया हो जबकि वास्तविकता में झुंथा पुत्र देबु का 1/8 हिस्सा चौथूराम ने क्रय किया था तथा चौथूराम का ही क्रय के समय से ही कब्जा था वर्तमान में चौथूराम के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 7, 8, 9 का कब्जा काश्त है। वादी ने प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की बदनियत से यह वादपत्र पेश किया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अपने कथन की पुष्टि हेतु वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत RRT 2010(2) Page No. 981-986, RRT 2019(1)Page No. 1-7, RRT 2011(1)Page No. 315-317 पेश किया है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

1. आया वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में वादी को 1/4 हिस्सें का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है तथा 3 बीघा कच्ची भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का संयुक्त

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner

**खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 का वादी के हिस्से में नाम हजफ किया जाकर रिकार्ड से हटाया जावे ?**

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने प्रदर्श 8 ए जो कि बही लिखावट है के आधार पर वाद को डिक्री करवाने का अनुतोष चाहा है। प्रदर्श 8 ए अपंजिकृत दस्तावेज है जिसके अवलोकन से प्रकरण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तथा अपंजिकृत दस्तावेज पर सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो यह साबित करता हो कि वादी ने तथा वादी के पिता व चाचा ने उक्त वर्णित भूमि में से भूमि को क्रय किया हो। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 6 नामान्तकरण ग्राम पंचायत मणकसास के अनुसार उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण बालू व सुण्डा के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सें का दर्ज किया गया था प्रदर्श 7 जमाबंदी सम्वत् 2018–2031 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि के बालू व सुण्डा 1/4 हिस्सें के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि कें 1/8 हिस्सें के वादी व उनके भाई तथा 1/8 हिस्सें के प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है तथा 1/8 हिस्सें के चौथू के वारिसान दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी ने उक्त वर्णित भूमि को क्रय करने के बाबत् जो कथन किये है वह साबित नहीं होते है। अतः वादी अपने नाम से 1/4 हिस्से की तथा 3 बीघा कच्ची भूमि में से 1/6 हिस्सें की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादी इस तनकी को साबित करने में असफल रहा, इसलिए यह तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**2 आया वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान 1064, 1065, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1083 में प्रतिवादी/जबाबदेहन्दा व उसके भाई चुन्नीलाल का 1/8 हिस्सा है ?**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 1 पर था। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 6 नामान्तकरण ग्राम पंचायत मणकसास के अनुसार उक्त वर्णित भूमि का नामान्तकरण बालू व सुण्डा के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सें का दर्ज किया गया था प्रदर्श 7 जमाबंदी सम्वत् 2018–2031 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि के बालू व सुण्डा 1/4 हिस्सें के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि कें 1/8 हिस्सें के प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार है। पत्रावली पर मौजूद उक्त प्रदर्शों के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता उक्त वर्णित भूमि के खातेदार रहे है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता सूण्डा के फौत होने के बाद उक्त वर्णित भूमि के 1/8 हिस्सें का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम से दर्ज किया गया है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व उसके भाई चुन्नीलाल प्रतिवादी नम्बर 2 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा सही दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. **आया वादी का विवादित भूमि में केवल 1/32 हिस्सा है और 1/32 हिस्से पर ही मौका पर वादी का कब्जा काश्त है ?**

Scanned by CamScanner

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण 1 पर था। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श 6 जमाबंदी सम्वत् 2061-2064 के अनुसार उक्त वर्णित भूमि कें 1/8 हिस्सें के बालू के वारिसान वादी व उसके भाई के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जिरह के दौरान वादी ने स्वीकार किया है कि वे 4 भाई है इस प्रकार प्रत्येक भाई का हिस्सा 1/32 हिस्सा बनता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी का उक्त वर्णित भूमि में 1/32 हिस्सा बनता है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में तथा वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

अनुतोष

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी पर जिन तनकीयात को साबित करने का भार था वादी उनको साबित करने में असफल रहा तथा प्रतिवादी नम्बर 1 तनकीयात साबित करने में सफल रहे। इस प्रकार वादी प्रस्तुत वाद के जरिये अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से पाते है कि वादी ने प्रस्तुत वादपत्र में सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया है इस प्रकार वाद पत्र में आवश्यक पक्षकारों का अभाव है। पत्रावली में वादी ने कोई भी पंजिकृत दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट होता हो कि वादी ने कभी उक्त वर्णित भूमि के 1/4 हिस्सें का क्रय किया था। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श 6, 7 के अनुसार उक्त वर्णित भमि में वादी के पिता एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है तथा इसी अनुरूप वर्तमान में 1/4 हिस्से पर बालू व सुण्डा के वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नहीं होते है तथा प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत उक्त इस प्रकरण में चस्पा होते है। उक्त विवेचन से वादी का वादपत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

**वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो।**

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

**निर्णय आज दिनांक 26/08/19 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner

(8)

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 2 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं0 –195 / 08

नत्थूलाल

निर्णय दिनांक 28/08/19

बनाम

सीताराम आदि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्ययालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी व हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..... मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

**वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।**

निज..–.....–..... मुबलिक –.....–..... दावन.–.....–.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.....

फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –.....–..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 08 सन 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.09.09 16:44:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: